UNNAO POLICE

प्रेस नोट 01- दिनांक 24.09.2024

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव

विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम का आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 23.09.2024 को वादिनी के द्वारा तहरीर दिया गया है कि वह कस्बा मोहान की रहने वाली है कुँवर रामभरोसे डिग्री कालेज में पढती है। कस्बा मोहान का रहने वाला मुस्लिम लड़का जो कि अपने आप को हिन्दू बताकर मुझसे दोस्ती कर लिया आज दिनांक-23.09.24 को उसने मुझसे मिलने हेतु मोटर साईकिल पर बैठाकर मोहान तिराहे से थोड़ी दूर चलकर एकान्त स्थान पर बुर्का निकाल कर दिया और कहने लगा कि बुर्का पहन लो तथा हम दोनो दूर निकल चले जिससे कोई पहचान न सके। बुर्का पहनाकर अभि0 उपरोक्त ने अपना नाम इसाक पुत्र ताज मोहम्मद नि0 मो0 कोट कस्बा मोहान थाना हसनगंज उन्नाव तथा वादिनी को इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात कहने लगा। उक्त व्यक्ति के बारे में जानकार मुझे मांसिक रूप से बहुत पीड़ा हुई तो मै तुरन्त उसकी मोटरसाइकिल से उतर गयी मुझे गाड़ी से उतरते देख उक्त व्यक्ति मुझे जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। वादिनी के द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-225/24 धारा 351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन अधि0 व 3(2)5(क) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दनांक 24.09.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त इसाक उपरोक्त को लखपेड़ा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-मो0 इसाक पुत्र ताज मोहम्मद नि0 मो0 कोट कस्बा मोहान थाना हसनगंज उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1-उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू थाना हसनगंज उन्नाव।

2-हे0का0 रामपाल थाना हसनगंज, उन्नाव।

3-का0 पंकज कुमार थाना हसनगंज उन्नाव।